[1]प्ररूप सं. 3गङकघ

[नियम 10घख देखें]

देश दर देश रिपोर्ट

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 286 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए भारत में निवासी मूल अस्तित्व या अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व या किसी अन्य घटक अस्तित्व, द्वारा रिपोर्ट

रिपोर्टकर्ता अस्तित्व का नाम	
रिपोर्टकर्ता अस्तित्व का स्थाई लेखा संख्यांक	
रिपोर्टकर्ता अस्तित्व का पता	
क्या रिपोर्टकर्ता अस्तित्व अंतरराष्ट्रीय समूह का मूल अस्तित्व समूह है	

भाग क: कर अधिकारिता द्वारा आय आबंटन, कर तथा कारबार क्रियाकलाप का अवलोकन

बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह का नाम : रिपोर्ट योग्य लेखा वर्ष : प्रयोग की गई करेंसी :											
कर अधिकारिता	राजस्व			आयकर से पहले लाभ (हानि)	संदत्त आयकर (नकद आधार पर)	प्रोद्भूत आयकर, रिपोर्ट योग्य लेखा वर्ष	कथित पूंजी	संचयित उपार्जन	कर्मचारियों की संख्या	नकद और नकद समतुल्यों से भिन्न मूर्त आस्तियां
	असंबद्ध पक्षकार	संबद्ध पक्षकार	योग							

भाग ख: प्रत्येक समुच्चयन प्रति कर अधिकारिता में सम्मिलित बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह के सभी घटक अस्तित्वों की सूची

	बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह का नाम : संबंधित राज वित्तीय वर्ष :														
कर अधिकारिता	कर अधिकारिता में घटक अस्तित्व निवासी	संगठन या निगमन की कर अधिकारिता, यदि निवास की कर अधिकारिता से भिन्न हो		मुख्य कारबार क्रियाकलाप											
			अनुसंधान और विकास	विधारण या प्रबंध बौद्धिक संपदा	क्रय या उपापन	विनिर्माण या उत्पादन	विक्रय, विपणन या वितरण	प्रशासनिक प्रबंध और सहायक सेवाएं	असंबद्ध पक्षकारों के लिए सेवाओं का उपबंध	आंतरिक समूह वित्त	विनियमित वित्तीय सेवाएं	बीमा	शेयर धारण करना या अन्य साम्या लिखत	निष्क्रिय	अन्य
	1.														
	2.														
	3.														
	1.														
	2.														
	3.														

1. आय-कर (चौबीसवां संशोधन) नियम, 2017 द्वारा **31.10.2017** से अंतःस्थापित।

भाग ग: अतिरिक्त जानकारी

बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह का नाम:
रिपोर्ट योग्य लेखा वर्ष
कृपया कोई अतिरिक्त संक्षिप्त जानकारी या स्पष्टीकरण सम्मिलित करें जिसे आवश्यक समझा जाए या जो भाग क और भाग ख (उदाहरणत: डाटा का स्रोत) में दी गई अनिवार्य जानकारी के बोध को सुकर बनाएगा।

मैं, ...पुत्र/पुत्री/पत्नी* श्री ....यह घोषणा करता हूं/करती हूं कि ....(निर्धारिती का नाम) के ....(पदाभिधान) की अपनी हैसियत से जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं/रही हूं और मैं उक्त जानकारी प्रस्तुत करने तथा उसका सत्यापान करने के लिए सक्षम हूं।

स्थान:............... ....

हस्ताक्षर**

तारीख : ....

घोषणाकर्ता का पता

....

घोषणाकर्ता का स्थायी लेखा संख्यांक

टिप्पण: *जो लागू न हो, उसे काट दें।

**यह प्ररूप धारा 140 के अधीन आय की विवरणी का सत्यापन करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

टिप्पण 2- विशिष्ट अनुदेश

भाग क

1. "कर अधिकारिता" नामक स्तंभ में, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को ऐसी सभी कर अधिकारिताओं को सूचीबद्ध करना चाहिए, जिसमें बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) समूह के घटक अस्तित्व कर प्रयोजनों के लिए निवासी हैं। कर अधिकारिता को एक राज्य और साथ ही एक गैर राज्य अधिकारिता के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें राजवित्तीय स्वायत्ता है। कर प्रयोजनों के लिए किसी कर अधिकारिता में निवासी न होने वाले रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) द्वारा समझे गए बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) समूह में सभी घटक अस्तित्वों के लिए एक पृथक् पंक्ति सम्मिलित की जानी चाहिए। जहां घटक अस्तित्व एक से अधिक कर अधिकारिता में निवासी है, वहां लागू कर संधि सहबद्धता भंजक निवास की कर अधिकारिता का अवधारण करने के लिए लागू किया जाना चाहिए। जहां कोई लागू कर संधि विद्यमान नहीं है, वहां घटक अस्तित्व की रिपोर्ट प्रभावी प्रबंध के संघटक अस्तित्व के स्थान की कर अधिकारिता में की जानी चाहिए।

2. "राजस्व" शीर्ष के अधीन टैम्पलेट के तीन स्तंभों में, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम को निम्नलिखित सूचना की रिपोर्ट करनी चाहिए : (**i**) सहयुक्त उद्यमों के साथ संव्यवहारों से उत्पन्न सुसंगत कर अधिकारिता में बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह के सभी घटक अस्तित्वों के राजस्वों की राशि (**ii**) स्वतंत्र पक्षकारों के साथ संव्यवहारों से उत्पन्न सुसंगत कर अधिकारिता में बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह के सभी घटक अस्तित्वों के राजस्वों की राशि ;और (**iii**) (**i**) और (**ii**) का योग। राजस्वों में माल सूची, संपत्तियों, सेवाओं, स्वामिस्वों, हित, प्रीमियमों के विक्रय से प्राप्त राजस्व और कोई अन्य रकम सम्मिलित होनी चाहिए। राजस्वों में ऐसे अन्य घटक अस्तित्वों, जिन्हें करदाता के कर अधिकारिता में लाभांशों के रूप में माना जाता है, से प्राप्त संदायों को अपवर्जित किया जाना चाहिए।

3. "आयकर से पहले लाभ (हानि)" नाम स्तंभ के अधीन रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए सभी घटक अस्तित्व निवासी के लिए आयकर से पूर्व लाभ (हानि) की राशि को रिपोर्ट करना चाहिए। आयकर से पहले लाभ(हानि) में सभी असाधारण आय और व्यय मदों को सम्मिलित करना चाहिए।

4. "संदत्त आयकर (नकद आधार पर)" नामक स्तंभ के अधीन, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए सभी घटक अस्तित्व निवासी द्वारा सुसंगत राजवित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से संदत्त आयकर की कुल रकम की रिपोर्ट करनी चाहिए। संदत्त करों में निवास कर अधिकारिता में और सभी अन्य कर अधिकारिताओं में घटक अस्तित्व द्वारा संदत्त नकद

करों को शामिल करना चाहिए। संदत्त करों में घटक अस्तित्व को किए गए संदायों के संबंध में अन्य अस्तित्वों (सहयुक्त उद्यम और स्वतंत्र उद्यम) द्वारा कर विधारण सम्मिलित होना चाहिए। इस प्रकार यदि कंपनी क निवासी कर अधिकारिता क में कर अधिकारिता ख में हित उपार्जित करती है, तो कर अधिकारिता ख में विधारित कर की रिपोर्ट कंपनी क द्वारा की जानी चाहिए।

5. "प्रोद्भूत आयकर-रिपोर्ट योग्य लेखा वर्ष" नामक स्तंभ के अधीन, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए सभी घटक अस्तित्व निवासी के रिपोर्ट करने के वर्ष के कराधेय लाभों या हानियों पर अभिलिखित प्रोद्भूत कर व्यय की राशि की रिपोर्ट करनी चाहिए। कर व्यय में रिपोर्ट योग्य लेखा वर्ष में केवल संक्रियाओं को उपदर्शित करना चाहिए और अनिश्चित कर दायित्वों के लिए आस्थगित करों या उपबंधों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए।

6. "कथित पूंजी" नामक स्तंभ के अधीन, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए सभी घटक अस्तित्व निवासी की कथित पूंजी की राशि की रिपोर्ट करनी चाहिए। स्थायी स्थापनों के संबंध में कथित पूंजी की रिपोर्ट विधिक अस्तित्व द्वारा, जिसका वह स्थायी स्थापन है, रिपोर्ट तब तक नहीं की जानी चाहिए, जब तक कि विनियामक प्रयोजनों के लिए स्थायी स्थापन कर अधिकारिता में पूंजी अपेक्षा परिभाषित न की जाए।

7. "संचित उपार्जन" नामक स्तंभ के अधीन, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को वर्ष के अंत में सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए सभी घटक अस्तित्व निवासी के कुल संचित उपार्जनों की राशि की रिपोर्ट करनी चाहिए। स्थायी स्थापनों के संबंध में, संचित उपार्जनों की उस विधिक अस्तित्व द्वारा रिपोर्ट की जानी चाहिए, जिसका वह स्थायी स्थापन है।

8. "कर्मचारियों की संख्या" नामक स्तंभ के अधीन, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को सुसंगत अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए सभी घटक अस्तित्व निवासी के पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई) पर कर्मचारियों की कुल संख्या की रिपोर्ट करनी चाहिए। कर्मचारियों की संख्या वर्ष के लिए औसत रोजगार स्तरों के आधार पर या संगतत: अनुप्रयुक्त संपूर्ण कर अधिकारिता के किसी अन्य आधार पर और वर्षानुवर्ष की रिपोर्ट की जा सकेगी। इस प्रयोजन के लिए घटक अस्तित्व की मामूली प्रचालन क्रियाकलापों में भाग लेने वाले स्वतंत्र संविदाकारों की कर्मचारी के रूप में रिपोर्ट की जा सकेगी। कर्मचारियों की संख्या का युक्तियुक्त पूर्णांकन या अनुमान अनुज्ञेय है। परंतु यह तब, जबकि ऐसा पूर्णांकन या अनुमान पूरी विभिन्न कर अधिकारिताओं में कर्मचारियों के सापेक्ष वितरण को तात्विक रूप से विरूपित नहीं करता है। संगत दृष्टिकोण वर्षानुवर्ष और पूरे अस्तित्वों में लागू किया जाना चाहिए।

9. "नकद और नकद समतुल्यों से भिन्न पूर्त आस्तियां" नामक स्तंभ के अधीन, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए सभी घटक अस्तित्व निवासी की पूर्त आस्तियां का शुद्ध बही मूल्य की राशि की रिपोर्ट करनी चाहिए। स्थायी स्थापनों के संबंध में आस्तियों की उस कर अधिकारिता के संदर्भ द्वारा रिपोर्ट की जानी चाहिए, जिसमें स्थायी स्थापन स्थित है। इस प्रयोजन के लिए मूर्त आस्तियों में नकद या नकद समतुल्य, अमूर्त या वित्तीय आस्तियां सम्मिलित नहीं हैं।

भाग ख

10. "कर अधिकारिता में घटक अस्तित्व निवासी" नामक स्तंभ के अधीन, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को कर अधिकारिता दर कर अधिकारिता आधार पर और विधिक अस्तित्व नाम से उन बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) समूह के सभी घटक अस्तित्व, जो सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए निवासी हैं, को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। तथापि स्थायी स्थापनों के संबंध में, जैसा ऊपर कहा गया है, स्थायी स्थापन उस कर अधिकारिता के संदर्भ द्वारा सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, जिसमें वह स्थित है। विधिक अस्तित्व, जिसका वह स्थायी स्थापन है, को नोट किया जाना चाहिए (उदाहरणार्थ एक्स वाई जेड कार्प- कर अधिकारिता एपीई)

11. . "संगठन या निगमन (इनकार्पोरेशन) की कर अधिकारिता, यदि निवास की कर अधिकारिता से भिन्न हो" नामक स्तंभ के अधीन, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को उस कर अधिकारिता के नाम की रिपोर्ट करनी चाहिए, जिसकी विधियों के अधीन बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) का घटक अस्तित्व संगठित किया जाता है या निगमित किया जाता है, यदि वह निवास की कर अधिकारिता से भिन्न है।

12. "मुख्य कारबार क्रियाकलाप (क्रियाकलापों)" नामक स्तंभ के अधीन, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को एक या अधिक समुचित बाक्सों को टिक करके सुसंगत कर अधिकारिता में घटक अस्तित्व द्वारा किए गए मुख्य कारबार क्रियाकलाप (क्रियाकलापों) की प्रकृति का अवधारण करना चाहिए। इस स्तंभ में, यदि रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) 'अन्य' का विकल्प चुनता है तब इससे "भाग ख : अतिरिक्त जानकारी" भाग में घटक अस्तित्व के क्रियाकलाप की प्रकृति को विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षा की जाएगी।